



उत्तराखण्ड सरकार

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग— खण्ड ()

(परिनियत आदेश)

देहरादून: दिनांक: 2003 ई

सम्बत्.....

उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

संख्या 1528 /कृषि/ 2002/1(243)2002

देहरादून: दिनांक 19 अगस्त, 2003

अधिसूचना

कीटनाशी अधिनियम 1968 (अधिनियम राम-46 राज्य 1968) तथा कीटनाशी नियम 1971 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाने हुये महामहिम श्री राज्यपाल महोदय कीटनाशी रसायनों के विश्लेषण हेतु निम्नांकित प्रयोगशालाओं को कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला (Pesticides quality control lab) घोषित करते हैं तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 20 के अंतर्गत नियुक्त कीटनाशी निरीक्षकों (Insecticides Inspectors) द्वारा लिये गये नमूनों के विश्लेषण हेतु इस अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उक्त प्रयोगशालाओं में अधीनस्थ कृषि संबंधी वर्ग-1 के अधिकारी को कीटनाशी विश्लेषक (Insecticide Analyst) नियुक्त करते हैं जिनका कार्यक्षेत्र सपूर्ण उत्तरांचल होगा।

1. कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, पौड़ी, जिला—पौड़ी गढ़वाल।
2. कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, रुद्रपुर, जिला—उधमसिंह नगर।

आज्ञा सं

(डॉ आरपारसांतातिया)

प्रमुख समिति एवं आयुक्त

संख्या/528(1) / कृषि / 2003 / तददिनांक।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित का सूतनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हन् प्रयित-

1. संघीय भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।
2. कृषि गवाहकार भारत, सरकार नई दिल्ली।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
4. कृषि विभाग / अपर कृषि निदेशक, कृषि कृषि निदेशक गुणवत्ता नियंत्रण उत्तरांचल।
5. कृषि विभाग के समस्त मदलीला जिला स्तरीय अधिकारी।
6. अधीक्षक राजकीय मुटाणालय एवं सामग्री रुदकी का अगजी अनुवाद के साथ 200 प्रतिशत में प्रकाशनार्थ प्रपित।
7. संघीय कृषि उत्तरांचल शासन देहरादून।

02
(डॉ आरपारसांतातिया)
अपर गवाहक कृषि